"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2002—आश्विन 18, शक 1924

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 3657/926/2002/55.—छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रदेश के आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है :—

1. **संक्षिप्त नाम** :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक प्रवेश नियम 2002" होगा. ये तत्काल प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषाएं** :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हों :—

2.1 "श्रेणी"-श्रेणी से अभिप्रेत है, चार में से कोई एक अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) तथा अनारक्षित.

2.2 "राज्य शासन"-राज्य शासन से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन.

2.3 "संवर्ग"-संवर्ग से अभिप्रेत है चार संवर्गों में से कोई एक अर्थात् सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग एवं महिला.

2.4 ''संचालक''-संचालक से अभिप्रेत है, संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी छत्तीसगढ़.

2.5 ''महाविद्यालय'' महाविद्यालय से अभिप्रेत है प्रदेश में स्थित आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय.

3. **पात्रता :—**

3.1 जो भारत का नागरिक हो.

3.2 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हों.
छत्तीसगढ़ का मूल निवासी उन्हीं आवेदकों को माना जावेगा जो छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9-1/प्रस/2001/साप्रवि/1-3 दिनांक 19-4-2002 के स्थानीय निवासियों की परिभाषा में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करते हैं. इस हेतु शासन द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवासी प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे.

3.3 शैक्षणिक अर्हताएं—

1. प्रवेश हेतु ऐसे उम्मीदवारों को ही पात्रता होगी, जिन्होंने 10+2 प्रणाली से 12वीं परीक्षा भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तथा वनस्पति शास्त्र (बायलॉजी) विषय को लेकर उत्तीर्ण की हो अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से उक्त विषयों को लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो.

2. बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए उपर्युक्त के साथ 10वीं कक्षा अथवा उसके समकक्ष अथवा उससे उच्च कक्षा में उर्दू विषय लेकर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा.

3.4 आयु सीमा-प्रवेश वर्ष के 31 दिसंबर को 17 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिये.

स्पष्टीकरण— आयु प्रमाणित करने के लिए उच्चतर माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र अथवा अंक सूची में अंकित जन्म तिथि को ही सही माना जाएगा.

4. **सीटों का निर्धारण :**—फ्री , पेमेन्ट एवं एन. आर. आई. सीटों का निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप किया जाएगा.

5. **सीटों का आरक्षण :—**

5.1 अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 21% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के लिये 14% स्थान आरक्षित होंगे. शेष स्थान अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे.

5.2 जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो उम्मीदवार को उससे संबंधित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है. जाति प्रमाण-पत्र के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

5.3 प्रत्येक श्रेणी में महिला संवर्ग के लिए 30%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग के लिए 3%, सैनिक संवर्ग के लिए 3% एवं विकलांग संवर्ग के लिए 6% क्षैतिज आरक्षण होगा.

5.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु आरक्षण की पात्रता स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्री तथा नाती/नातिन को होगी.

टिप्पणी :— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र ही उम्मीदवार का इस संवर्ग का होने संबंधी एकमात्र वैध प्रमाण-पत्र होगा.

5.5 सैनिक संवर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारियों जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गए हों के लिए सीटें आरक्षित हैं. इस संवर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वे छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है. भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है. भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र अपने पिता/माता के छत्तीसगढ़ में विस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव, जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा.

अथवा

वह छत्तीसगढ़ के अथवा बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है. उम्मीदवारों को अपने माता-पिता के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा.

अथवा

वह 1 जनवरी 2002 को अथवा उसके पूर्व की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है.

टिप्पणी :— सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा.

5.6 विकलांग संवर्ग में आरक्षण का लाभ 40% अथवा उससे अधिक विकलांगता होने पर ही दिया जाएगा. विकलांग उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड द्वारा 40% से अधिक विकलांगता होते हुए भी इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में सक्षम होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. किसी श्रेणी में विकलांग उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में ऐसे स्थान उसी श्रेणी के बिना वर्ग के उम्मीदवारों से मेरिट के आधार पर भरे जाएंगे.

5.7 जो उम्मीदवार उपरोक्त तीनों संवर्ग में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश के उम्मीदवार नहीं होंगे, उन्हें प्रावीण्यता के आधार पर उनकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत ''बिना वर्ग'' का उम्मीदवार माना जायेगा.

5.8 कोई भी उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी और एक ही संवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकेगा.

6. **प्रावीण्य सूची :—**

6.1 उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन-पत्रों में संलग्न 12वीं (10+2 हायर सेकेण्डरी) अंकसूची में दर्शाये गये बायोलॉजी, फिजिक्स एवं केमेस्ट्री विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी एवं वर्ग के अनुसार, शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा प्रवेश हेतु प्रावीण्य सूची तैयार की जाकर घोषित की जायेगी.

6.2 समान कुलांक प्राप्त उम्मीदवारों की प्रावीण्यता विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों के आधार पर बनाकर निर्धारित की जायेगी.

(अ) बायलॉजी (ब) केमेस्ट्री (स). फिजिक्स

6.3 यदि उपरोक्त क्रम में भी कुल अंक समान रहते हैं तो जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी उसे प्रवेश का पात्र माना जावेगा.

7. **काउंसलिंग :—**

7.1 प्रावीण्य सूची के आधार पर काउंसलिंग द्वारा प्रवेश की कार्यवाही संचालक द्वारा की जावेगी.

7.2 उम्मीदवारों को संचालक द्वारा यू. पी. सी. द्वारा सूचित करके स्वयं के व्यय पर काउंसलिंग के लिये बुलाया जायेगा.

7.3 उम्मीदवारों को 10-10 के बैच में मूल पात्रता संदर्भ में, मूल प्रमाण-पत्रों की जांच के लिये बुलाया जायेगा. यह कार्य जांच कक्ष में संपन्न होगा.

7.4 स्थानों का आवंटन 10 के बैचों में, काउंसलिंग कक्ष में, उम्मीदवारों को जांच समिति द्वारा पात्र घोषित किये जाने के उपरांत किया जायेगा.

7.5 उम्मीदवार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को प्रतीक्षा कक्ष, जांच कक्ष या काउंसलिंग कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी.

7.6 सभी उम्मीदवारों को काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा आदेशित अनुशासन मानना होगा, और न मानने पर उसे काउंसलिंग के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकेगा.

7.7 उम्मीदवारों को काउंसलिंग समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा.

7.8 यदि कोई उम्मीदवार काउंसलिंग में उपस्थित न हो सकता हो, तो वह अपना प्रतिनिधि लिखित में नामांकित कर सकता है. प्रतिनिधि द्वारा लिया गया निर्णय उम्मीदवार पर बंधनकारी होगा.

7.9 उम्मीदवार को काउंसलिंग के समय उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं संस्था के बारे में बताया जायेगा. उसे केवल एक पाठ्यक्रम तथा संस्था चुनने का अधिकार होगा, एवं उसे उसके द्वारा चुने गए पाठ्यक्रम एवं संस्था में प्रवेश दिया जायेगा.

7.10 काउंसलिंग के लिये निम्नलिखित अनुक्रम अपनाया जायेगा :—

1. अनारक्षित श्रेणी
2. अनुसूचित जनजाति
3. अनुसूचित जाति
4. अन्य पिछड़ा वर्ग

7.11 उम्मीदवार को प्रवेश की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए काउंसलिंग के समय निर्धारित प्रथम वर्ष की फीस की 50% राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा. शेष फीस की राशि उम्मीदवार को प्रवेशित संस्था में जमा करनी होगी.

7.12 एक बार प्रवेश पश्चात् उम्मीदवार किसी भी पाठ्यक्रम/संस्था विशेष में प्रवेश ले लेता है तो आगामी काउंसलिंग तक उसे पाठ्यक्रम/संस्था में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जावेगी.

7.13 यदि उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होता है या प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण-पत्र दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में एवं आंशिक राशि का ड्राफ्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो वह अपनी योग्यता क्रमानुसार पाठ्यक्रम/संस्था में प्रवेश का अवसर खो देगा, तथापि बाद में प्रवेश की अवधि के दौरान उपस्थित होने पर उसे प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जा सकेगा. ऐसी स्थिति में वह जिस दिन भी उपस्थित होगा उसे उस दिन सीट उपलब्ध होने पर ही प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जावेगा. यदि उम्मीदवार प्रवेश की अंतिम तिथि के दिन भी उपस्थित नहीं होता है तो यह मान लिया जावेगा कि उसकी प्रवेश लेने में रुचि नहीं है और इस प्रकार वह अपने प्रवेश का अधिकार खो देगा.

7.14 काउंसलिंग के समय उम्मीदवार द्वारा पाठ्यक्रम एवं संस्था चयन करने के उपरांत जमा की गई फीस की राशि तथा प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा की गई शेष फीस की राशि वापसी योग्य नहीं होगी.

7.15 उम्मीदवार को प्रवेश के समय काउंसलिंग समिति के समक्ष तथा महाविद्यालय में आवश्यक सभी मूल प्रमाण-पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे.

7.16 किसी भी श्रेणी एवं वर्ग के किसी भी प्रवेशित आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर संस्था में उपस्थित न होने पर या प्रवेश लेने के उपरांत संस्था छोड़ देने से या किसी अन्य कारण से स्थान रिक्त होते हैं तो उन रिक्त स्थानों के विरुद्ध प्रवेश प्रावीण्यता के आधार पर पुनः काउंसलिंग द्वारा दिया जावेगा.

7.17 किसी आरक्षित श्रेणी में पात्र उम्मीदवार न मिलने की दशा में उन्हें अन्य श्रेणियों में परिवर्तित कर रिक्त स्थान की पूर्ति निम्नानुसार की जायेगी :—

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये आरक्षित पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण रिक्त रह गए स्थान अनुसूचित जाति के पात्र उम्मीदवारों से भरे जायेंगे. इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों से भरे जायेंगे. इन दोनों श्रेणियों के पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण रिक्त रह गए स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र उम्मीदवारों से भरे जायेंगे. अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण रिक्त रह गए स्थान पहले अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों से और अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में अनुसूचित जाति के पात्र उम्मीदवारों से भरे जायेंगे. जब इन तीनों श्रेणियों के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न हों तब रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जायेंगे.

7.18 जो उम्मीदवार अपनी प्रावीण्यता के आधार पर अपनी काउंसलिंग के समय उपलब्ध संस्था/पाठ्यक्रम में से किसी में भी प्रवेश लेना नहीं चाहता, वह लिखित में ऐसा अंकित कर सकता है. ऐसा उम्मीदवार उसकी काउंसलिंग के समय उपलब्ध सभी स्थानों पर अपना अधिकार खो देगा, और उसे किसी भी संस्था/पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा. उसका नाम प्रतीक्षा सूची में प्रावीण्यता के क्रम में रखा जाएगा. आवेदन के वर्ष की 13 दिसम्बर को प्रवेश प्रक्रिया बंद होने के पूर्व तथा उसका नाम प्रतीक्षा सूची में रखे जाने के बाद की काउंसलिंग में कोई स्थान रिक्त होने पर उस पर पुनः विचार किया जायेगा. आवेदन के वर्ष की 13 दिसम्बर को अपरान्ह 5 बजे प्रतीक्षा सूची समाप्त मान ली जायेगी तथा उसके बाद रिक्त होने वाले किसी भी स्थान पर प्रवेश के लिये किसी भी आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा. परन्तु राज्य शासन अधिसूचना के द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि को परिवर्तित कर सकेगी.

7.19 किसी भी श्रेणी के अंतर्गत सैनिक संवर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग, विकलांग संवर्ग में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी श्रेणी के बिना संवर्ग में परिवर्तित कर भरा जावेगा.

7.20 यदि किसी कारणवश उम्मीदवार या उसका प्रतिनिधि काउंसलिंग के लिए नियत तारीख एवं समय पर उपस्थित नहीं होता है तो वह प्रवेश के लिये अपने सभी अधिकार खो देगा.

8. प्रवेश रद्द करना :—

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया प्रवेश संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरन्त बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा. प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, छत्तीसगढ़, रायपुर का निर्णय अंतिम होगा.

9. चिकित्सकीय उपयुक्तता :—

चयनित उम्मीदवार को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये अपनी जांच करानी होगी अथवा उनसे चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये कहा जा सकता है. उन्हें प्रवेश तभी मिल सकेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त प्रमाणित हो जायेंगे.

10. फीस :—

विभिन्न प्रकार की सीटों की फीस पूर्व वर्ष के अनुसार ही रहेगी.

11. नियमों की व्याख्या :—

प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी होगा. प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.